

कार्यालय नगर पालिका परिषद रायसेन जिला रायसेन म.प्र.

कमांक / 328 / न.पा. / नि.शा. / 2026-27

रायसेन दिनांक 08.05.2026

'ई निविदा सूचना'

नगर पालिका परिषद रायसेन को वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए कार्य व्यवस्था में लगने वाली निर्माण सामग्री आर.सी.सी. ह्युम पाईप, आर.सी.सी. बेंच एवं अन्य का प्रदाय एवं स्थापना कार्य की ई निविदा दरे पंजीकृत ठेकेदार/सप्लायर/दुकानदारों से ऑनलाईन निविदायें ई-टेंडरिंग वेबसाईट www.mptenders.gov.in पर आमंत्रित की जाती है। कार्य का विवरण निम्नानुसार है।

UADD Tender no.	कार्य का नाम	अनुमानित राशि	अमानत राशि	निविदा प्रपत्र की कीमत	समयावधि
2026-UAD SD6679-1	आर.सी.सी. ह्युम पाईप एवं आर.सी.सी. बेंच/चेयर का प्रदाय कार्य संलग्न सूची अनुसार न.प्र.वि.म.प्र. आई.एस.एस.आर 08 नम्बर 2025 के मापदण्ड अनुसार।	30.00 लाख	22500/-	5000/-	कार्यादेश अनुसार

उपरोक्त वेबसाईट आनलाईन भुगतान करने के उपरांत निविदा प्रपत्र (टेंडर डाक्यूमेंट) वेबसाईट के माध्यम से प्राप्त हो सकेगा। निविदा प्रपत्र कय करने की तिथि 12.05.2026 (प्रातः 10:30) से 12.06.2026 (17:30) बजे तक निर्धारित है।

श्रीमति सविता जमना सेन
अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद रायसेन

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद रायसेन

पृष्ठांक 0 / / न०पा० / निर्माण / 2026-27
प्रतिलिपि:-

रायसेन, दिनांक.....

- 1- नगर पालिका/जिला कार्यालय/तहसील कार्यालय/लो०नि०वि०/आर०ई०एस० के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु
- 2- सम्पादक की ओर भेजकर लेख है कि उपरोक्त निविदा सूचना दिनांक के पूर्व रुकी सीमा में प्रकाशित कर देयक दो प्रतियों में प्रस्तुत करें।


मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद रायसेन

कार्यालय नगरपालिका परिषद, रायसेन, जिला रायसेन (म.प्र.)

दूरभाष (कोड-07482) 222057 फेक्स - 222742 - E-Mail : cmoraisen@mpurban.gov.in

निर्माण कार्य में लगने वाली निर्माण सामग्री प्रदाय कार्य एन.आई.टी. क्रं. 328 की विस्तृत शर्तें :-

- 1 :- प्रदाय की जाने वाली निर्माण सामग्री की दरें सूची में अंकित यूनिट के अनुसार अंकित करें।
- 2 :- प्रदाय सामग्री शासन के प्रचलित आई.आर.सी. /न.प्र.वि. आई.एस.एस.आर 08 नवम्बर 2025 के मापदण्डों के अनुरूप तथा गुणवत्तापूर्ण होने पर ही भुगतान किया जायेगा।
- 3 :- प्रदाय की जाने वाली सामग्री में शासन की प्रचलित सभी दरों को सम्मिलित कर दरें प्रस्तुत की जावें कार्यालय द्वारा शासन के प्रचलित नियमों के अंतर्गत करो की कटौती की जावेगी।
- 4- जी.एस.टी का भुगतान शासन द्वारा निर्धारित दर पर पृथक से संबंधित प्रदायकर्ता को किया जावेगा।
- 5 :- सामग्री निर्धारित समयावधि में प्रदाय करनी होगी, निर्धारित समयावधि में प्रदाय न करने की दशा में कार्यालय को यह अधिकार होगा कि न्यूनतम दर पर अन्य पंजीकृत प्रदाय कर्ता से सामग्री की आपूर्ति की जा सकेगी ताकि कार्य व्यवस्था प्रभावित न होगी।
- 6 :- प्रदाय सामग्री कार्यालय द्वारा बतलाये गये स्थान पर प्रदाय करना होगी।
- 7 :- किसी भी विवाद की स्थिति में कार्यालय का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।
- 8 :- सामग्री का परीक्षण पर होना वाला व्यय संबंधित प्रदाय कर्ता को वहन करना होगा।
- 9 :- विस्तृत शर्तें कार्य अनुबंध की शर्तें होगी।
- 10:- प्रदाय सामग्री मेटल में 10 प्रतिशत एवं सेंड मुरम, डस्ट, चूरी में 20 प्रतिशत वाईटस (हबा का दवाव) का कटौती शासन द्वारा निर्धारित दिशा निर्देश के अनुसार किया जावेगा।


मुख्य नगरपालिका अधिकारी,
नगर पालिका परिषद रायसेन